


**आदेश**

संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, भोपाल मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार महिलाओं के कार्यस्थल पर उत्पीड़न के दृष्टिगत अधिनियम-2013 के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित और युक्तियुक्त वातावरण उपलब्ध कराए जाने बाबत महाविद्यालयीन स्तर पर निम्नानुसार आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित की जाती है :-

1. पीठासीन अधिकारी - प्रो. अर्चना तिवारी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष सिविल इंजी. विभाग
2. संकाय प्रतिनिधि - 1 डॉ. रेखा गुप्ता, असोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी. विभाग  
2 डॉ. अंजुला गौर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एप्लाइड साइंस विभाग
3. गैर शैक्षणिक प्रतिनिधि - 1 श्रीमती पुनीता सक्सैना, स्टोरकीपर लेखा शाखा  
2 श्रीमती अनीता शाक्य, असि. ग्रेड III स्थापना शाखा
4. अंतिम वर्ष के छात्र/छात्राये प्रतिनिधि - 1 सुश्री मोनिका खरे, बी.ई. सिविल इंजी. तृतीय वर्ष  
2 श्री अनुज पहाड़िया, बी.ई. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी. तृतीय वर्ष  
3 सुश्री अदिती तिवारी, बी.ई. इलेक्ट्रिकल इंजी. तृतीय वर्ष  
4 श्री एस.आर. पवित्रा, बी.ई. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी. तृतीय वर्ष
10. गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि - श्रीमती अंजली गर्ग, सदस्य, इनर व्हील सोसायटी

अतः महिलाओं (कार्मिक अथवा विद्यार्थी) के कार्यस्थल पर लैगिंग उत्पीड़न विरुद्ध शिकायत दर्ज करने एवं शिकायत पर समयबद्ध तरीके से जांच करने हेतु उल्लेखित अधिनियम 2013 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) शीघ्र तथा गोपनीयता से जांच कर प्रकरणों के निराकरण पर त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी।

  
(डॉ. आर.के.पण्डित) 28.6.18  
निदेशक

प्रतिलिपि :

1. समिति के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त सूचना पटल।
3. समस्त छात्रावास अधीक्षक की ओर सूचनार्थ एवं छात्रावासीय सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
4. वेब मैनेजर की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निदेशक कार्यालय।
6. स्थापना।